स. 14036/592/2013-यू टी पी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक : 14-10-2013

सेवा में

श्रीमती उमा भारद्वाज,
348, न्यू लायलपुर कॉलोनी,
कृष्ण नगर, दिल्ली-110005

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपका दिनांक 25.08.2013 का आवेदन।

महोदया,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपके ऊपर उल्लिखित आर टी आई आवेदन (पी एम ओ से अंतरित होकर इस अनुभाग में 27.09.2013 को प्राप्त) का उल्लेख करने का निदेश हुआ है।

2. आपके आवेदन के पैरा 2 के संबंध में सूचना दिल्ली पुलिस से संबंधित है और इसलिए अपेक्षित सूचना सीधे आपको मुहैया करवाने/भेजने के लिए आपका आवेदन उन्हें अंतरित किया जा रहा है।

3. आपके आर टी आई आवेदन के अन्य भागों के लिए, आपने अपने आर टी आई आवेदन में कोई विशिष्ट सूचना नहीं मांगी है जो आर टी आई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार आपको मुहैया करवाई/भेजी जा सके।

4. इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री इकबाल सिंह चहल, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

भवदीय,

अ.कु.मंडल 14/10/13

(अरुण कुमार मंडल)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं
अवर सचिव (डी पी-II)

प्रति प्रेषित :

1. पुलिस उपायुक्त, लोक सूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली- आर टी आई आवेदन की एक प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न है कि आवेदक को अपेक्षित सूचना सीधे ही मुहैया करवाई/भेजी जाए। आवेदक ने अपेक्षित शुल्क इस मंत्रालय में जमा करा दिया है।

संलग्नक : यथोपरि।

2. श्री एस. सामंत, अवर सचिव (आर टी आई), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

2431
17/10